न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 95/2024

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. नारायणसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति– राजपूत निवासी खास, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर 2. रामूराम पुत्र आईदान राम जाति भील निवासी खिरजा खास, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जो उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ/शिविर प्रभारी प्रशासन गावों के संग अभियान फॉलोअप कैम्प 2022 कमांक/राजस्व/प्र.गां/सं/अ./2022/192 दिनांक 29.6.2022 पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता –अपीलान्ट
2. श्री नवल सिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता–रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक : 26.12.2024

अपीलाण्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी शेरगढ, शिविर प्रभारी प्रशासन गांवो के संग अभियान फॉलोअप कैम्प 2022 के आदेश कमांक/राजस्व/प्र.गा.स.अ./2022/192 दिनांक 29.06.2022 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 मियाद अधिनियम का पेश करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी निकालने पर ज्ञात हुआ कि उनके खातेदारी भूमि में से ढाई–ढाई बीघा भूमि कम कैसे हो गई तब अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु दिनांक 13.03.2024 को प्रार्थना पत्र पेश कर नकल प्राप्त की गई जिसकी जानकारी उक्त दिनांक

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

होने से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

पक्षकारान अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय/शिविर अधिकारी के समक्ष तहसीलदार शेरगढ ने दिनांक 20.06.2022 निर्धारित प्रारूप में संलग्न सूची अनुसार रास्ते हेतु राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर शिविर प्रभारी/ उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट की खातेदारी में रास्ते के लिए भूमि काट दी गई। साथ ही अपीलाधीन आदेश में दोनों अपीलान्ट के खातेदारी में से 08–08 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में काम में आ रही भूमि से अधिक रकबा भूमि रास्ते के रूप में काट ली गई है। जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के अनुसरण में तहसीलदार शेरगढ ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2022/1543 दिनांक 20.06.2022 पेश कर राजस्व ग्राम खिरजा आशा के खसरा नम्बर 512 के रकबा 0.3891 बीघा व खसरा नम्बर 504 के रकबा 0.3891 बीघा रकबा भूमि में से चालू, सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्तों के राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 के अधीन राजस्व रिकोर्ड में रास्ता घोषित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/शिविर प्रभारी के समक्ष पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया, न ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई। उक्त खातेदारी भूमि में से 08–08 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में काम में आ रही है, उससे अधिक भूमि रास्ते के रूप में काट ली गई है। इसलिए उक्त अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर या संशोधित किया जाकर अपीलान्ट्स की खातेदारी में से रकबा 08–08 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु निहित की जानी चाहिए।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार शेरगढ द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ./2022/1543 दिनांक 20.06.2022 अनुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के

शिविर प्रभारी/उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ को निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खिरजा आशा के खसरा नम्बर 512 के रकबा 0.3891 बीघा व खसरा नम्बर 504 के रकबा 0.3891 बीघा रकबा में भूमि में से चल रहे चालू, सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्तों को रास्ता घोषित कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करावे जिस पर उपखण्ड अधिकारी/शिविर प्रभारी के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.2022 के द्वारा उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उक्त खसरान भूमि में से रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है जो उचित होने से बहाल रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन किया तथा अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजो आदि का अध्ययन व अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार शेरगढ के द्वारा ग्राम खिरजा आशा के खसरान संख्या 512, 504 की रकबा भूमि में से चल रहे रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.2022 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित किया है। उक्त ख0सं0 512 एवं 504 की रकबा भूमि जो कि अपीलान्ट की खातेदारी की है। अपीलान्ट द्वारा अपील में यह कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश से उक्त खसरे में से रास्ते हेतु उपयोग में आ रही रकबा भूमि से अधिक भूमि रास्ते हेतु ले ली गई है जिसे संशोधित किया जाकर 08–08 बिस्वा भूमि अंकित किया जावें। अतः उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यननजर रखते हुए प्रकरण में आदेश को संशोधित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के द्वारा आदेश दिनांक 29.6.2022 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा वादग्रस्त उपरोक्त खसरान भूमि में से चल रहे रास्ते की भूमि का अपीलान्ट की उपस्थिति में नाप–चौक करवाया जाकर रास्ते की भूमि का अंकन राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने बाबत पुनः यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

26.12.24

(अजीतसिंह राजावत)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,

जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

जोधपुर